न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी - मांगीलाल, आर.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रकरण संख्या - 08/2020

सुशीला देवी पत्नी स्व. बलवन्तराम पूनिया निवासी वजीतपुरा भोमा हाल आबाद वार्ड न. 12, हनुमानगढ़ जंक्शन।

-प्रार्थी

बनाम

1. योगिता उर्फ योग्यता पुत्री बलवन्तराम पत्नी योगेश कुमार शर्मा निवासी घर स. 5/125 गांधीनगर वार्ड न. 45 जयपुर।

2. उपखंडीयक टिब्बी।

- अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक - 25.01.2021

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के पति स्व. बलवन्तराम के नाम से ग्राम श्रेरेका तहसील टिब्बी तथा वजीतपुरा भोमा पंजाब प्रान्त में चल व अचल कृषि सम्पति थी। स्व. बलवन्त पुत्र हरीराम के योगिता, रीना, संगीता तीन पुत्रियाँ तथा चन्द्रपाल व पंकज कुमार दो पुत्र थे। स्व. बलवन्तराम ने अपनी सम्पति की वसीयत दिनांक 02.01.1997 को अपनी सम्पति व कृषि भूमि की अपनी पत्नी सुशीला अपीलांट के पक्ष में तहरीर कर दी थी। उक्त वसीयत के आधार पर बलवन्तराम की वजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर पंजाब की भूमि का इंतकाल वसीयतग्रहिता के पक्ष में तस्दीक हो चुका है। चक 1 एच. एम. एच. के खाता स. 141 में प. न. 172/270 मु. न. 22 के किला न. 14 ता 17/1.012, प. न. 173/270 मु. न. 21 के किला न. 11 से 20/2.530, 22 से 25/1.012 है., प. न. 174/270 मु. न. 20 के किला न. 11/.253, 18 से

23/1.518 कुल 6.325 है. संयुक्त खाता की भूमि में स्व. बलवंत राम के हिस्सा की भूमि का इन्तकाल वसीयत के आधार पर सुशीला पत्नी बलवन्तराम के नाम महकमा माल द्वारा नहीं कर बलवंतराम की तीनों पुत्रियों योगिता, संगीता, रीना के नाम व प्रार्थीया के नाम विरासतन दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। वसीयत के आधार पर इन्तकाल सुशीला अकेली के नाम दर्ज करना चाहिये था। इन्तकाल संख्या 135 दिनांक 06.01.1999 के विरुद्ध अपील अदालत हाजा में पूर्व में पेश है। अब अप्रार्थी योगिता ने ऐलानिया धमकी दी है कि । एच. एम. एच. में उसके नाम से दर्ज कृषि भूमि का आगे विक्रय करने का इकरार कर लिया है व जल्द ही बैयनामा तस्दीक करवायेगी। चूंकि अपील न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के विचाराधीन है, अगर अपील निर्णय से पूर्व भूमि को विक्रय करने में अप्रार्थी / रेस्पोन्डेंट 2 कामयाब हो गई तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। भूमि की वसीयत और कब्जा प्रार्थी / अपीलान्ट के पास होने के कारण प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट न. 2 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये कि अपीलाधीन इन्तकाल आदेश में अंकित भूमि चक । एच. एम. एच. खाता स. 141 में अंकित कुल भूमि 6.325 है. में रेस्पोडेन्ट न. 2 / अप्रार्थी योग्यता पुत्री बलवन्त के नाम अंकित 112933/1265000 (0.564 है.) हिस्सा को हस्तान्तरित तथा बैय करने से निषिद्ध रहे।

उक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी। व प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। व चक । एच. एम. एच. के खाता स. 141 में अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय की जारी की गई कि वे आगामी तारीख पेशी तक वादगत आराजी को रहन-बैय न करें। तलबी उपरान्त अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये व

जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना-पत्र के अनुसार स्व. बलवन्तराम ने कभी भी अपनी सम्पति व कृषि भूमि की वसीयत अपनी अली सुशीला देवी के पक्ष में तहरीर नहीं करवाई थी। प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 5 असत्य है। बलवन्तराम की वज़ीतपुरा भोमा, तहसील अबोहर, पंजाब की कुल भूमि में बलवंत-राम की पुत्री योगिता को सिविल जज अबोहर द्वारा 1/7 हिस्सा घोषित किया गया है। व तथाकथित वसीयत 02.01.1997 को अवैध घोषित करते हुये दिनांक 10.09.2018 को निरस्त कर दिया है। प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 06 में वर्णित चक 1 एच. एम. एच. के खाता स. 141 की कुल 6.325 है. संयुक्त खाते की भूमि में स्व. बलवन्तराम के हिस्सा की भूमि का इंतकाल महकमा माल द्वारा विरासतन करना बिल्कुल सही व वैध है क्योकिं दिनांक 02.01.1997 की वसीयत को सुशीला देवी ने फर्जी तैयार करवाया था जिसे सिविल जज अबोहर द्वारा दिनांक 10.09.2018 को निरस्त कर अवैध घोषित किया जा चुका है। इन्तकाल स. 135 दिनांक 06.01.1999 के विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा में पेश्र की हुई है स्वीकार व सत्य है। उक्त भूमि योगिता के स्वयं के कब्जे की खातेदारी भूमि है जिसका इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे बेचने या काश्त करने के लिये अप्रार्थी संख्या 01 पूर्ण स्वतन्त्र है।

जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय अबोहर के आदेश्र व डिक्री दिनांक 10.09.2018 की प्रमाणित प्रतियाँ पेश्र की जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्ष प्रार्थना-पत्र 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस समाहित की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि स्व. बलवन्तराम ने 02.01.1997 को अपनी सम्पति व कृषि भूमि प्रार्थी के पक्ष में वसीयत कर दी थी। 1 एच. एम. एच. के खाता संख्या 141 में कुल 6.325 है.

संयुक्त खाते की भूमि का में स्व. बलवन्तराम के हिस्सा की भूमि का इन्तकाल वसीयत के आधार पर अकेले सुशीला के पक्ष में करने की बजाय प्रार्थी सुशीला व तीनों पुत्रियों योगिता, संगीता रीना के नाम विरासतन दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। अतः अपीलाधीन इन्तकाल आदेश में अंकित भूमि चक। एच. एम. एच. खाता स. 161 में अंकित कुल भूमि 6.325 है. में रेस्पोन्डेंट संख्या 2 योग्यता पुत्री बलवन्त के नाम अंकित 112933/1265000 हिस्सा को तांफैसला रेस्पोडेन्ट संख्या 02 योगिता उर्फ योगिता किसी प्रकार से हस्तान्तरित तथा बैय करने से निषिद्ध रहे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस निम्न नजीरें पेश की-

1. RBJ (22) 2015 पेज 299, निगरानी / टीए / 9094 / 2011 / नागौर हाजी रसीद अहमद बनाम मों. शफी
2. RBJ (22) 2015 पेज 544, अपील / TA / 6877 / 2009 / Jaipur JDA बनाम भोरी देवी
3. RBJ (17) 2010 पेज 178, निगरानी / टीए / 10012 / 2008 / अलवर, शंकरलाल व अन्य बनाम दलीप कुमार

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि स्व. बलवन्तराम द्वारा की गई वसीयत दिनांक 02.01.1997 मिथ्या है जिसे सिविल न्यायालय अबोहर के आदेश व डिक्री दिनांक 10.09.2018 द्वारा अवैध, अकृत और शून्य घोषित किया चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के अनुसार यह एक पर्याप्त साक्ष्य है। प्रार्थीया/ अपीलांट वह अच्छी तरह से जानती थी कि दिनांक 10.09.2018 को उक्त वसीयत सिविल न्यायाधीश अबोहर द्वारा अवैध घोषित करते हुये निरस्त की जा चुकी है उसके बावजूद प्रार्थीया / अपीलान्ट ने तथ्यों को छुपाते

हुये मिथ्या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना-पत्र प्रार्थी व जवाब प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी व निर्णय व डिक्री सिविल न्यायालय अबोहर, विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस का मनन किया व संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार चक 1 एच. एम. एच. के खाता संख्या 141 की कुल 6.325 है. संयुक्त खाते की भूमि में स्व. बलवन्त राम के हिस्से की भूमि का इन्तकाल विरासतन दर्ज न किया जाकर बलवन्त राम द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार किया जाना चाहिये था तथा उसी के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। चूंकि उक्त वसीयत जो कि स्व. बलवन्तराम द्वारा दिनांक 02.01.1997 को सिविल न्यायालय अबोहर के आदेश व डिक्री दिनांक 10.09.2018 द्वारा अवैध, अकृत व शून्य घोषित की जा चुकी है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अपीलान्ट साबित नहीं होता है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता साबित नहीं होने से खारिज / अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

मांगीलाल
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी